इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 3 सितम्बर 2011—भाद्र 12, शक 1933

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्र. एफ 1 (बी) 102-03-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में.--

अनुसूची-चार के कॉलम (2) के अनुक्रमांक 4 से 10 तक के सामने कॉलम (4) में 'पदोन्नित हेतु अनुभव' की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थातु:—

अनुसूची—चार (नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है.	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है.	पदोन्नति का अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के नाम	अभियुक्तियां
(1)	জানা ह. (2)	ગાના ફ. (3)	(4)	(5)	(6)
गृह(पुलिस) विभाग	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र)	संयुक्त निदेशक (भौतिक शास्त्र)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/ क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम	 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य 	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हे तु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञनिक अधिकारी वरिष्ठता के

826 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2011					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		(मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.	 पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य 	अनुसार स रूप से वि क्षेत्र में रि जाएंगे.	
5. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) /	संयुक्त निदेशक (रसायन शास्त्र)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/ क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.	 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य निदेशक, न्यायालियक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य. 	संयुक्त निदे (प्रशिक्षण) पद पर पदो हेतु स संभागों के व वैज्ञानिक अधि वरिष्ठता अनुसार स रूप से वि क्षेत्र में जाएंगे.	
6. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	संयुक्त निदेशक (जीव विज्ञान)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/ क्षेत्रीय न्यायालियक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना	 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य 	संयुक्त निदे (प्रशिक्षण) पद पर पदो हेतु सः संभागों के व वैज्ञानिक अधि वरिष्ठता अनुसार स रूप से वि क्षेत्र में वि जाएंगे.	
	5. विरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) /	(2) (3) 5. विरष्ठ वैज्ञानिक संयुक्त निदेशक अधिकारी (रसायन शास्त्र) (रसायन शास्त्र) / 6. विरष्ठ वैज्ञानिक संयुक्त निदेशक अधिकारी (जीव विज्ञान)	(2) (3) (4) (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, 5. वरिष्ठ वैज्ञानिक संयुक्त निदेशक 5 वर्ष जिसमें से राज्य/ अधिकारी (रसायन शास्त्र) भेत्रीय न्यायालियक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, 6. वरिष्ठ वैज्ञानिक संयुक्त निदेशक 5 वर्ष जिसमें से राज्य/ अधिकारी (जीव विज्ञान) भ्रेत्रीय न्यायालियक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करा क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य	(2) (3) (4) (5) (मोबाईल) युनिट में भी उ. पुलिस महानिदेशक च्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए. 5. विष्ठि वैज्ञानिक संयुक्त निदेशक अधिकारी (रसायन शास्त्र) सेवा के दौरान जिला स्तिम्म स्तरम्य करने का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ काइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. 6. विष्ठि वैज्ञानिक संयुक्त निदेशक अधिकारी (जीव विज्ञान) 6. वष्ठि वैज्ञानिक संयुक्त निदेशक (जीव विज्ञान) 6. वष्ठि विज्ञानिक संयुक्त निदेशक (जीव विज्ञान) 6. वष्ठि वैज्ञानिक संयुक्त निदेशक (जीव विज्ञान) 6. वष्ठि विज्ञानिक संयुक्त निदेशक (जीव विज्ञान) 6. वष्ठि वैज्ञानिक संयुक्त निदेशक (जीव विज्ञान) 6. वष्ठि विज्ञानिक संयुक्त निदेशक (जीव विज्ञान) 6. वष्ठि विज्ञानिक संयुक्त निदेशक (जीव विज्ञान) 6. वष्ठि विज्ञा	

7. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

5 वर्ष जिसमें से राज्य/ क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला आफ क्र ाइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.

- 4. निदेशक, न्यायालियक विज्ञान प्रयोगशाला-सदस्य
- 1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष
- 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग-सदस्य
- 3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष-सदस्य
- 4. निदेशक, न्यायालियक विज्ञान प्रयोगशाला-सदस्य

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हे तु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8. वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/ क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.	 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य निदेशक, न्यायालियक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य 	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता के अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.
	9. वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/ क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए,	 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य 	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता के अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.
	10. वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	5 वर्ष जिसमें से राज्य/ क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. उसे सेवा के दौरान जिला सीन आफ क्राइम (मोबाईल) युनिट में भी न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.	 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग—सदस्य पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष—सदस्य निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला—सदस्य 	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदोन्नित हेतु समस्त संभागों के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठता के अनुसार समान रूप से विचार क्षेत्र में लिये जाएंगे.

No. F 1 (B) 102-03-B-4-TWO.—In exercise of the powers conferred by the proviso of the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby make the following amendment in the Madhya Pradesh Forensic Science Laboratory (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1993, namely:—

AMEDMENT

In the said rules,—

In Schedule IV, against Sr. No. 4 to 10 of the Column (2) 'Experience for promotion' in column (4) for the existing entry, following entry shall be substituted, namely:—

SCHEDULE—IV (See Rule-14)

	Name of Service at or post from which promotion is to be made	Name of Servicor post to whice promotion is to made	ch promotion	Names of Members of the Departmental promotion Committee	Remarks
Home (Police) Depart-Ment	4. Senior Scientific Officer (Physics)		5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/Regional Forensic Science Laboratories, He Should also have 2 years exprience working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units during Service.	1. Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman. 2. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member 3. Director General Police Head of the Deptt.—Member. 4. Director, Forensic science Laboratory. —Member.	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.
	5. Senior Scientific Officer (Chemistry)	Director (Chemistry)	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/Regional Forensic Science Laboratories, He Should also have 2 years exprience working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units during Service.	 Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member Director General Police Head of the Deptt.—Member. Director, Forensic science Laboratory. —Member. 	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.

826 (3)	मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2011					
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.	 Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member Director General Police Head of the Deptt.—Member. Director, Forensic science Laboratory. —Member. 	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/Regional Forensic Science Laboratories, He Should also have 2 years exprience working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units during Service.	Joint Director (Biology)	6. Senior Scientific Officer (Biology)		
For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.	 Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member Director General Police Head of the Deptt.— Member. Director, Forensic science Laboratory. —Member. 	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/Regional Forensic Science Laboratories, He Should also have 2 years exprience working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units during Service.	Joint Director (Training)	7. Senior Scientific Officer		
For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.	 Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member Director General Police Head of the Deptt.—Member. 	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/Regional Forensic Science Laboratories, alongwith minimum of 2 years exprience should be of working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units.	Senior Scientific Officer (Physics)	8. Scientific Officer (Physics)		

4. Director, Forensic science Laboratory.

---Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	9.Scientific Officer (Chemistry)	Senior Scientific Officer (Chemistry)	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/Regional Forensic Science Laboratories, alongwith minimum of 2 years experience should be of working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units.	 Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman. Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member Director General Police Head of the Deptt.—Member. Director, Forensic science Laboratory. —Member. 	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.
	10.Scientific Officer (Biology)	Senior Scientific Officer (Biology)	5 years Out of which minimum of 2 years experience should be of working in State/Regional Forensic Science Laboratories, alongwith minimum of 2 years experience should be of working in Distt. Scene of Crime (Mobile) Units.	 Chairman of M.P. Public Service Commission or a member nominated by him—Chairman Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary Home Deptt.—Member Director General Police Head of the Deptt.—Member Director, Forensic science Laboratory. —Member. 	For the promotion to the post of Joint Director (Training) Senior Scientific Officers of all divisions will be taken in zone of consideration, equally as per seniority.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक रंजन, सचिव.